

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल जनपद शाहजहाँपुर दिनांक - 06.10.26

“ऑपरेशन कन्विक्शन: गैंगस्टर एक्ट के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी”

गिरोह के सरगना व उसके साथी को 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 05-05 हजार अर्थदण्ड ।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना रोजा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एसजे-05, शाहजहाँपुर द्वारा गिरोह के सरगना रुखसाद उर्फ हैदर पुत्र दिलशाद नि0मो0 किला निकट चार खम्भा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व उसके साथी अजीम उर्फ मुन्ना पुत्र नियामत निवासी गुलाबनगर थाना मैलानी जनपद खीरी को जुर्म इकबाल करने पर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 05-05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

गैंगस्टर के विरुद्ध पुलिस व अभियोजन द्वारा बड़ी कार्यवाही, गिरोह के सरगना व उसके साथी को दिलाई सजा:-

दिनांक 14.05.2017 को तत्कालीन थाना प्रभारी कमरूल हसन खाँ द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अनुमोदित गैंग जिसका सरगना सदस्य रुखसाद उर्फ हैदर पुत्र दिलशाद नि0मो0 किला निकट चार खम्भा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व उसके साथी अजीम उर्फ मुन्ना पुत्र नियामत नि0 गुलाबनगर थाना मैलानी जनपद खीरी के विरुद्ध एक गैंग बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर जघन्य अपराध जैसे चोरी, नकबजनी आदि करके अपने तथा अपने साथियों के परिवार के आर्थिक लाभ के लिये अनुचित धन अर्जित करने, जनता में भय व आतंक व्याप्त करने के आरोप में थाना रोजा पर 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त गैंग के सदस्यों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में अनेक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियोग पंजीकृत के पश्चात पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने के उपरान्त, पुलिस एवं अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹05-05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण:-

1. रुखसाद उर्फ हैदर पुत्र दिलशाद निवासी मोहल्ला किला निकट चार खम्भा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
2. अजीम उर्फ मुन्ना पुत्र नियामत नि0 गुलाबनगर थाना मैलानी जनपद खीरी।

प्रकरण का विवरण:-

मु0अ0सं0 957/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण में गिरोह के सरगना रूखसाद उर्फ हैदर पुत्र दिलशाद नि0मो0 किला निकट चार खम्भा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व उसके साथी अजीम उर्फ मुन्ना पुत्र नियामत नि0 गुलाबनगर थाना मैलानी जनपद खीरी द्वारा एक गैंग बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर जघन्य अपराध जैसे चोरी, नकबजनी आदि करके अपने तथा अपने साथियों के परिवार के आर्थिक लाभ के लिये अनुचित धन अर्जित करने, जनता में भय व आतंक व्याप्त करने के आरोप में थाना रोजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में थाना रोजा पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी जिसके पश्चात अभियुक्तगण द्वारा जुर्म इकबाल किया गया। परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा गिरोह के सरगना रूखसाद उर्फ हैदर पुत्र दिलशाद नि0मो0 किला निकट चार खम्भा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व उसके साथी अजीम उर्फ मुन्ना पुत्र नियामत नि0 गुलाबनगर थाना मैलानी जनपद खीरी को 06-06 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 05-05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता:-

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विकशन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।